N.C.R.B/[illegible]

I.I.F.-I /एकीकृत [illegible]-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0303 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/11/2025 16:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 09/11/2025 | Date To (दिनांक तक): 14/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 13:30 बजे | Time To (समय तक): 18:41 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/11/2025 | Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोज़नामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/11/2025 16:2[illegible] बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 14 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KISAN FARM HOUSE, GRAM DHANJI KA KHERA, PATWAR MANDAL KHTAWALA, TEHASIL KUNWARIYA RAJSAMAND

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMESH CHANDRA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DALICHAND TELI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	D.N. HOUSE, RAJKIYA CHIKITSALAYA KE PASS, KASBA KELWA, RAJSAMAND, KELWA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	D.N. HOUSE, RAJKIYA CHIKITSALAYA KE PASS, KASBA KELWA, RAJSAMAND, KELWA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KAMLESH CHANDRA		पिता:PYAR CHAND	1. BRAHM KUMARI ASHRAM KE PASS,GANESH NAGAR JAWAD,KANKROLI,KANKROLI, RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2025 को समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री दलीचन्द जी जाति तेली, उम्र 38 साल, निवासी डी.एन. हाउस, राजकीय चिकित्सालय के पास कस्बा केलवा, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द अपनी निजी कार से एसीबी चौकी राजसमन्द पर उपस्थित आया और मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं प्रार्थी रमेश चन्द्र पुत्र श्री दलीचन्द जी जाति तेली, उम्र 38 साल, निवासी डी.एन. हाउस, राजकीय चिकित्सालय के पास कस्बा केलवा, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मुझ प्रार्थी के ग्राम धनजी का खेडा, पटवार मण्डल खटामला, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 499/493, 495/490, 497/491, 496/491 व 498/493 जो कि आबादी क्षैत्र में स्थित हैं जहां पर मैने आवासीय इकाई के रूप में फार्म हाउस बना रखा हैं जिसकी स्थिति ऑन लाईन राजस्व नक्शे में दुरस्त नहीं हैं जबकि मैं तहसीलदार साहब कुंवारिया द्वारा अवगत कराई गई आराजी पर ही वर्तमान में काबिज हुं लेकिन ऑन लाईन नक्शे में मौके के हिसाब से स्थिति में विरोधाभाष हैं। वर्तमान में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजसमन्द जिले में पैमाइश का कार्य एवं ऑन लाईन नक्शा शुद्धिकरण का कार्य चल रहा हैं जिसके लिए मैं मेरे ग्राम धनजी का खेडा में स्थित उपरोक्त आराजी में मौके के हिसाब से पैमाईश की कार्यवाही करवाने एवं ऑन लाईन नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु श्री कमलेश चन्द्र खटीक, भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत भाणा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द से मिला तो उन्होंने मेरी उपरोक्त आराजीयात की पैमाईश की कार्यवाही एवं ऑन लाईन नक्शा शुद्धिकरण करवाये जाने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 10 लाख रूपये की मांग की और कहा कि 10 लाख रूपये नहीं देगा तो तेरे आराजी का ऑन लाईन नक्शा दुरस्त नहीं करेंगे। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री कमलेश चन्द्र खटीक भू-अभिलेख निरीक्षक को रिश्वत राशि 10 लाख रूपये नहीं देना चाहता हुं बल्कि उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व श्री कमलेश चन्द्र खटीक भू-अभिलेख निरीक्षक के बीच कोई आपसी रंजीश नहीं हैं और ना ही कोई आपसी लेनदेन बकाया हैं। अत रिपोर्ट करता हुं कानूनी कार्यवाही करावें। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र से मजिद दरियाप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु परिवादी को कहा गया तो परिवादी ने आरोपी की लोकेशन जानने हेतु समय 02.13 पीएम पर अपने मोबाईल फोन से आरोपी को कॉल कर वार्ता की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा परिवादी को राजसमन्द में 100 फीट रोड के पास आकर फोन करने के लिए कहा। उक्त वार्ता को डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात समय 02.43 पीएम पर आरोपी श्री कमलेश खटीक द्वारा अपने मोबाईल फोन से परिवादी को कॉल कर वार्ता की जिसमें आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा राजसमन्द में 100 फीट रोड पर नायरा पेट्रोल पम्प के पास खडा होना बताया। उक्त मोबाईल वार्ता को डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यूरो कार्यालय के श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री रमेश चन्द्र के साथ कस्बा राजसमन्द में 100 फीट रोड पर स्थित नायरा पेट्रोल पम्प के पास भिजवाया जाकर संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत भाणा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द से रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता में आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र की ग्राम धनजी का खेडा में स्थित आराजीयात की पैमाईश

की कार्यवाही पूर्ण करने एवं नक्शे में संशोधन का कार्य बाकि होना बताकर आरोपी द्वारा परिवादी की आराजीयात की पैमाईश की कार्यवाही करने की एवज में परिवादी श्री रमेश चन्द्र से रिश्वत राशि 10,00,000 रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ कम करने की कहने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 7,00000 रूपये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति जाहिर करने की पुष्टि होने पर परिवादी को रिश्वत राशि 7,00000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया जाकर अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय राजसमन्द से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु श्री हेमराज कानि0 को तहरीर दी जाकर भिजवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री रमेश चन्द्र पुनः ब्यूरो कार्यालय पर आया और रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाने के बारे में बताया। तत्पश्चात श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 दो स्वतंत्र गवाहान के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को अपना स्वयं का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री सूर्यभान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत, उम्र 45 साल, निवासी उलपुरा (नदीवाला), पोस्ट बामनहेडा, तहसील व पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल निवास मकान नम्बर 8, गली नम्बर 7, सन्तोष नगर, गारियावास, गिर्वा उदयपुर जिला उदयपुर हाल पदस्थापन सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द एवं श्री लक्ष्मीनारायण सैनी पुत्र श्री भंवरलाल सैनी जाति माली, उम्र 36 साल, निवासी श्रीनाथ स्कूल के पास, मिन्डकिया रोड मकराना, तहसील व पुलिस थाना मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन हाल सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में पूर्व में उपस्थितशुदा परिवादी श्री रमेश चन्द्र एवं दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 09.11.2025 को प्रस्तुत स्वयं हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 09.11.2025 को परिवादी श्री रमेश चन्द्र एवं आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मध्य हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चलाकर उक्त वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। इसके पश्चात दिनांक 09.11.2025 को परिवादी श्री रमेश चन्द्र एवं आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं मोबाईल वार्ताएं (तीन वार्ताओं) की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी श्री रमेश चन्द्र को रिश्वत राशि 7,00000 की व्यवस्था हेतु एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम कार्यवाही हेतु तलब किये जाने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने बाबत् आवश्यक हिदायत कर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.11.2025 को परिवादी एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में परिवादी ने अग्रिम सम्भावित कार्यवाही हेतु दिनांक 12.11.2025 को 12-01 बजे के आस-पास ग्राम पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस में आने के लिए कहा गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता को पाबन्द कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.11.2025 को समय 10.30 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा मन् अतिरिकित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा म0 कानि0 से निकलवाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 को सरकारी मोबाईल फोन एवं एक रिक्त मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि बदामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित कर सरकारी मोबाईल फोन एवं एक रिक्त मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय 11.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्रीमती तारा म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के साथ मय प्राईवेट वाहन के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के अपने-अपने प्राईवेट वाहन से अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो समय 11.35 एएम पर परिवादी के ग्राम पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस पर पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र उपस्थित मिला जिसने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक ने आज 12-01 बजे के बीच में मेरे ऑफिस पर आकर मिलने हेतु कहा हैं जो आज मुझसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता कर

सकता हैं। मैं रिश्वत राशि 700000 रूपयों की व्यवस्था नहीं कर पाया हुं। मुझसे केवल 70000 रूपयों की ही व्यवस्था हो पाई हैं बाकि के 630000 रूपये के मैने डमी नोटों की व्यवस्था की हैं जो अभी मेरे पास ही रखे हुए हैं। इसके पश्चात समय 11.40 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने अपने पास से व्यवस्थानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 140 नोट राशि 70000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 1260 डमी नोट राशि 630000 रूपये कुल राशि 700000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त 1260 डमी नोटों की 14 गड्डीयां बनाकर उक्त गड्डीयों की फोटों ली जाकर प्रिन्टआउट प्राप्त कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 140 नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्रीमती तारा महिला कानि0 नं. 259 के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी में से परिवादी के पसून्द स्थित हिरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस में टेबल पर अखबार बिछा कर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के समस्त नोटों के दोनों ओर एवं एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो के दोनों ओर एवं सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री रमेश चन्द्र द्वारा अपने साथ में लाये गये काले रंग के बेग की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सूर्यभान सिंह सहायक प्रोग्रामर से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को डमी नोटों की प्रत्येक गड्डी में 5 नोट उपर व 5 नोट नीचे रखकर उक्त समस्त 14 गड्डीयों को फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई सफेद रंग की थेली में रखकर परिवादी श्री रमेश चन्द्र द्वारा साथ में लाये गये काले रंग बेग में कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री रमेश चन्द्र को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से हिरा मार्बल स्थित ऑफिस के बाहर गन्दे पानी के नाले में फिकवाया जाकर प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास एवं अखबार को जला कर नष्ट किया गया। परिवादी को यह हिदायत भी दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईषारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉं, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री रमेश चन्द्र को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड के परिवादी को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तथा श्रीमती तारा म0कानि0 नं. 259 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि अपने पास सुरक्षित अवस्था में रखकर एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक की लोकेशन जानने हेतु समय 12.39 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मोबाईल पर कॉल लगवाया जाकर वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को ब्यूरो के डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा काम में व्यस्त होने व बाद में फोन करने हेतु कहा गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक का फोन आने के इन्तजार में परिवादी के हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस में मुकिम हुए। इसके पश्चात समय 02.50 पीएम पर परिवादी श्री

रमेश चन्द्र ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक का मेरे पास कॉल नहीं आया हैं और ना ही कोई मेसेज प्राप्त हुआ हैं। मुझे अपने आवश्यक निजी कार्य हेतु कहीं पर निकलना भी हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र के काले रंग का बैग जिसमें सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली में रिश्वत राशि 700000 रूपये रखी हुई हैं, उक्त बेग को रिश्वत राशि सहित ही श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाकर परिवादी को संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु कॉल या मैसेज आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण मय प्राईवेट वाहन के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के परिवादी के ग्राम पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस से रवाना हो समय 03.10 पीएम पर एसीबी चौकी राजसमन्द पर पहुंचे तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, सरकारी मोबाईल फोन एवं रिक्त मेमोरी कार्ड, परिवादी का प्रार्थना-पत्र व अब तक की कार्यवाही की संधारित पत्रावली तथा काले रंग का बेग जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई हैं को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण को ब्यूरो द्वारा तलब किये जाने पर तुरन्त प्रभाव से कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने बाबत् आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.11.2025 को रात्रि के समय परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने अपने मोबाईल फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आज संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक केलवा स्थित मेरे निवास पर आया और मुझसे कहा कि मैं कल दिनांक 14.11.2025 को तहसील कार्यालय कुंवारिया में राजकार्य में व्यस्त रहुंगा, मैं रिश्वत राशि स्वयं प्राप्त करने नहीं आउंगा किसी और को आपके ऑफिस में भेज दूंगा, आप उसे दे देना, जिसके बारे में मैं आपको फोन करके बता दुंगा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कहा कि कल दिनांक 14.11.2025 को जब मैं आपको फोन करू तब आप अपनी टीम के साथ मेरे पसून्द स्थित हीरा मार्बल ऑफिस में आ जाना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र को संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु किसी को भिजवाये जाने के सम्बन्ध में कोई कॉल व मैसेज आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर सूचित करने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो जाब्ता तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 14.11.2025 को समय 09.00 एएम पर आवश्यक रूप से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.11.2025 को समय 09.00 एएम पर ब्यूरो जाब्ता एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह एवं श्री लक्ष्मीनारायण तलबिदा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 12.02 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में परिवादी ने उसके पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस पर पहुंचने हेतु कहा गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, सरकारी मोबाईल फोन एवं रिक्त मेमोरी कार्ड, परिवादी का प्रार्थना-पत्र व अब तक की कार्यवाही की संधारित पत्रावली तथा काले रंग का बेग जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई हैं को श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 से अलमारी से निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी का प्रार्थना-पत्र व अब तक की कार्यवाही की संधारित पत्रावली मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे गये तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती तारा महिला कानि0 से उक्त काले रंग के बेग का अवलोकन करवाया गया उक्त काले रंग के बेग में पूर्व में दिनांक 12.11.2025 को फर्द पेशकशी के दौरान फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली में रखी गई नोटों की 14 गड्डीयां (500-500 रूपये के 140 नोट भारतीय चलन मुद्रा के एवं 1260 डमी नोट) कुल राशि 7,00,000 रूपये पूर्वानुसार ही होना पाई गई तथा उक्त नोटों की 14 गड्डीयों को उसी सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली में ही यथास्थिति अनुसार श्रीमती तारा महिला कानि0 से उक्त काले रंग के बेग में रखवाया जाकर ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यगण के हाथ साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये जाकर उक्त काले रंग के बेग को श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को सुपुर्द कर अपने पास सुरक्षित अवस्था में रखने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा सरकारी मोबाईल फोन एवं रिक्त मेमोरी कार्ड, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि की बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात समय 12.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को मय प्राईवेट वाहन के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूजे

1746 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी/प्राईवेट वाहन से अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो परिवादी के ग्राम पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस पर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र उपस्थित नहीं मिला जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के ऑफिस में ही रूककर परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर परिवादी अपने हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस पर उपस्थित आया तथा परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु किसको भिजवा रहा हैं की स्थिति स्पष्ट करने हेतु समय 01.24 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र के मोबाईल फोन से आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मोबाईल पर व्हाटसएप्प कॉल करवा वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा किसी को भेजने के लिए कहा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि काफी समय हो गया हैं अभी तक संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक ने रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु किसी को भिजवाया नहीं हैं मैं उनको दुबारा कॉल करके उनसे बात करता हुं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 02.47 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र के मोबाईल फोन से आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मोबाईल पर व्हाटसएप्प कॉल करवा वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा आदमी की व्यवस्था नहीं होने से स्वयं ही 6-7 बजे के आस-पास आने के लिए कहा। तत्पश्चात परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक ने षाम को 6-7 बजे के आस-पास आने के लिए कहा हैं लेकिन मैं मेरे ऑफिस से शाम को 6 बजे से पहले ही निकल जाता हुं और ग्राम धनजी का खेडा स्थित मेरे फार्म हाउस (किसान फार्म हाउस) पर चला जाता हुं, जिसके बारे में श्री कमलेश चन्द्र खटीक को भी पता हैं। इसलिए हम सभी मेरे किसान फार्म हाउस पर ही चलते हैं और वहीं पर ही उनका इन्तजार करेंगे, अगर श्री कमलेश चन्द्र खटीक का फोन आयेगा तो मैं उनकों मेरे फार्म हाउस पर बुला लूंगा और मेरे फार्म हाउस के बारे में उनको भी जानकारी हैं। इस पर परिवादी के बताये अनुसार अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही के क्रम में समय 03.30 पीएम पर परिवादी को उसकी निजी कार से ग्राम धनजी का खेडा स्थित उसके किसान फार्म हाउस की तरफ रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को मय प्राईवेट वाहन के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूजे 1746 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी/प्राईवेट वाहनों से परिवादी के ग्राम पसून्द स्थित हीरा मार्बल फैक्ट्री के ऑफिस से रवाना हो समय 04.00 पीएम पर ग्राम धनजी का खेडा में स्थित परिवादी के किसान फार्म हाउस पर पहुंचे और आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। इसके पश्चात समय 06.08 पीएम पर आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मोबाईल फोन से परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया जिसे रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक को अपने फार्म हाउस में होना बताया जिस पर आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा 15-20 मिनट बाद कुंवारिया से रवाना होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री रमेश चन्द्र ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक किसी भी समय मेरे फार्म हाउस पर आ सकता हैं। इसलिए आप मेरे फार्म हाउस के मकान के द्वितीय तल पर बने कमरे के अन्दर इन्तजार करो, जैसे ही संदिग्ध मेरे फार्म हाउस के अन्दर आयेगा तो मुझे दूर से ही पता चल जायेगा और मैं, संदिग्ध से आगे की लेनदेन वार्ता मेरे मकान के अन्दर नीचे की तरफ बने हुए हॉल में करूंगा और रिश्वत राशि लेनदेन भी वहीं पर ही करूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 के पास सुरक्षित अवस्था में रखे हुए परिवादी के काले रंग का बेग जिसके अन्दर फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई सफेद रंग की प्लास्टिक थेली में फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 140 नोट राशि 70,000 रूपये तथा 500-500 रूपये के 1260 डमी नोट राशि 6,30,000 रूपये कुल राशि 7,00,000 रूपये रखे हुए हैं। उक्त रिश्वती राशि रखे हुए काले रंग के बेग को परिवादी श्री रमेश चन्द्र को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा मांगने पर ही उसे रिश्वत राशि देने एवं रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा करने हेतु पुन अवगत करायां जाकर ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यगण के हाथ साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये तथा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईश की जाकर संदिग्ध श्री कमलेश चन्द्र खटीक से होने वाली रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने एवं संदिग्ध से होने वाली वार्ता को उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु समय 06.20 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद अवस्था में परिवादी श्री रमेश चन्द्र को सुपुर्द किया जाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री रमेश चन्द्र को संदिग्ध के आने के इन्तजार में फार्म हाउस के मकान में नीचे की तरफ बने हुए हॉल में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 के साथ परिवादी के मकान के द्वितीय तल पर बने

कमरे में उपस्थित रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 06.41 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र द्वारा धनजी का खेडा में अपने किसान फार्म हाउस में बना हुआ मकान के अन्दर हॉल में संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पूर्व निर्धारित ईशारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण सैनी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 के द्वितीय तल पर बने कमरे से तेज-तेज कदमों से चलकर सीढियां उतर कर नीचे हॉल में आये। जहां पर परिवादी श्री रमेश चन्द्र के पास सोफे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। परिवादी श्री रमेशचन्द्र ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री कमलेश चन्द्र आर.आई. साहब है। जिनको मैंने मेरे काले रंग के बेग में से रिश्वत राशि जो कि एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में थी जिसे बेग में से निकाल कर आर.आई. साहब को दी। आर.आई. साहब ने उक्त प्लास्टिक की थैली जिसमें रिश्वत राशि थी अपने हाथो में ली तत्पश्चात आर.आई. साहब को उक्त रूपये रखने के लिए मैने एक ऑफ वाईट रंग की कपडे की थैली और दी जिसमें आर.आई. साहब ने रिश्वत राशि के रूपयों की प्लास्टिक की थैली रख कर सोफे पर ही अपने पास में रखे है, जो अभी भी इनके पास ही सोफे पर ही रखी हुयी है। जिस पर उक्त व्यक्ति का एक हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 117 को एवं एक हाथ कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 को कलाई से उपर पकडवाया गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कमलेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारचन्द, उम्र 49 साल, जाति-खटीक, निवासी ब्रहम कुमारी आश्रम के पास गणेश नगर जावद काकरोली, पुलिस थाना काकरोली जिला राजसमन्द हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत भाणा तहसील कुवारियां जिला राजसमन्द होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री कमलेश चन्द्र को परिवादी से रिश्वत राशि किस कारण से ग्रहण करने के बारे में पुछा तो आरोपी ने अपने नजरे झुका ली और चुप रहा कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रमेशचन्द्र से पुछा तो श्री रमेशचन्द्र ने बताया कि मेरे भू नक्शा सुधारने के लिए आर.आई. साहब ने मुझसे 10 लाख रूपये की मांग की थी और आज मेरे से 7 लाख रूपये रिश्वत राशि के लिए है। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री कमलेश चन्द्र के समक्ष चालू कर आज दिनांक 14.11.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व परिवादी श्री रमेश चन्द्र से वार्ता होना स्वीकार किया। आरोपी श्री कमलेश चन्द्र ने स्वतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो और कहा कि भू प्रबन्ध विभाग उदयपुर द्वारा राजसमन्द जिला क्षैत्राधिकार के चलाये जा रहे पैमाईश कार्य में परिवादी की आराजीयात का मौके के हिसाब से पैमाईश की कार्यवाही पटवारी हल्का एवं पटवारी भू प्रबन्ध उदयपुर द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार कर मुझ भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त सर्वे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सर्वे रिपोर्ट तहसील कार्यालय कुंवारिया में भिजवायी गयी है। मेरे पास श्री रमेशचन्द्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री कमलेश चन्द्र को उक्त रिश्वत राशि में से अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का हिस्सा होने के सम्बन्ध में आरोपी से पूछा गया तो आरोपी ने मना करते हुए कहा कि इस रिश्वत राशि में किसी का हिस्सा नहीं हैं, यह रिश्वत राशि मैने अपने स्वयं के लिए ही ली हैं। चूंकि आरोपी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि रखी हुयी प्लास्टिक की थैली अपने हाथों में लेकर अपने पास परिवादी द्वारा दी गई दूसरी ऑफ वाईट कपडे की थैली में रखकर अपने पास में रखे हैं इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण एवं प्लास्टिक की थैली एवं ऑफ वाईट कपड़े की थैली का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से बोलेरो सरकारी वाहन RJ 14 UJ 1746 में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 व RH2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1 व LH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सूर्यभान सिंह से आरोपी के पास सोफे पर रखी गयी रिश्वती राशि जो कि एक कपडे की थैली जिसके अन्दर प्लास्टिक की थैली में है जिसे

उठवा कर चैक करवाया गया तो 500-500 रूपये की गड्डिया होना बताया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाई गई तो उसमें 500-500 रूपये के 140 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 70,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 1260 डमी नोट कुल 6,30,000 रूपये इस प्रकार कुल 7,00,000 रूपये होना बताया गया। जिस पर पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपूर्दगी नोट के दौरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत डमी नोटो की फोटो से डमी नोटो की 14 गड्डियों का मिलान करवाया गया तो मिलान हु ब हु होना पाया गया तथा 500-500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के 140 नोट कुल राशि 70,000 रूपये के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान होना पाये गये तथा जिनके नम्बर इस प्रकार हैं 1 500 रूपये का एक नोट 4BD 679829, 2 500 रूपये का एक नोट 4HP 744287, 3 500 रूपये का एक नोट 8HK 260848, 4 500 रूपये का एक नोट 2QT 886582, 5 500 रूपये का एक नोट 7CS 621109, 6 500 रूपये का एक नोट 1NW 308516, 7 500 रूपये का एक नोट 3GL 626303, 8 500 रूपये का एक नोट 5WU 350532, 9 500 रूपये का एक नोट 6WP 171079, 10 500 रूपये का एक नोट 8PW 272800, 11 500 रूपये का एक नोट 5KQ 541003, 12 500 रूपये का एक नोट 9TP 088352, 13 500 रूपये का एक नोट 2RL 083736, 14 500 रूपये का एक नोट 1RT 384903, 15 500 रूपये का एक नोट 3TP 418071, 16 500 रूपये का एक नोट 3AE 817878, 17 500 रूपये का एक नोट 2GC 820578, 18 500 रूपये का एक नोट 8EE 752393, 19 500 रूपये का एक नोट 2AQ 750529, 20 500 रूपये का एक नोट 3PQ 573024, 21 500 रूपये का एक नोट 8TG 570341, 22 500 रूपये का एक नोट 1BM 225041, 23 500 रूपये का एक नोट 7MW 618600, 24 500 रूपये का एक नोट 2QK 657864, 25 500 रूपये का एक नोट 7EM 694036, 26 500 रूपये का एक नोट 6MG 669762, 27 500 रूपये का एक नोट 2BB 053763, 28 500 रूपये का एक नोट 2DW 507473, 29 500 रूपये का एक नोट 1CW 998399, 30 500 रूपये का एक नोट 0CH 532356, 31 500 रूपये का एक नोट 9MW 039919, 32 500 रूपये का एक नोट 2BQ 244929, 33 500 रूपये का एक नोट 3PM 271143, 34 500 रूपये का एक नोट 8VG 934535, 35 500 रूपये का एक नोट 6AH 220577, 36 500 रूपये का एक नोट 6AH 220578, 37 500 रूपये का एक नोट 6AH 220579, 38 500 रूपये का एक नोट 6AH 220580, 39 500 रूपये का एक नोट 6AH 220581, 40 500 रूपये का एक नोट 6AH 220582, 41 500 रूपये का एक नोट 9RT 003030, 42 500 रूपये का एक नोट 1DC 468521, 43 500 रूपये का एक नोट 7BW 824844, 44 500 रूपये का एक नोट 9FP 589282, 45 500 रूपये का एक नोट 0BV 683683, 46 500 रूपये का एक नोट 9VU 910954, 47 500 रूपये का एक नोट 8MU 094929, 48 500 रूपये का एक नोट 8DD 558124, 49 500 रूपये का एक नोट 8PE 317495, 50 500 रूपये का एक नोट 0GM 254771, 51 500 रूपये का एक नोट 5GN 483397, 52 500 रूपये का एक नोट 2NB 953319, 53 500 रूपये का एक नोट 2WS 810468, 54 500 रूपये का एक नोट 7DA 911818, 55 500 रूपये का एक नोट 8SF 138089, 56 500 रूपये का एक नोट 0QU 976352, 57 500 रूपये का एक नोट 2FU 011953, 58 500 रूपये का एक नोट 6QS 267338, 59 500 रूपये का एक नोट 3BG 309085, 60 500 रूपये का एक नोट 7LE 097300, 61 500 रूपये का एक नोट 6CR 426500, 62 500 रूपये का एक नोट 6TA 912795, 63 500 रूपये का एक नोट 7KV 275914, 64 500 रूपये का एक नोट 7RP 992282, 65 500 रूपये का एक नोट 5QD 501901, 66 500 रूपये का एक नोट 7NS 604727, 67 500 रूपये का एक नोट 3VP 612938, 68 500 रूपये का एक नोट 6KD 207572, 69 500 रूपये का एक नोट 8PT 528210, 70 500 रूपये का एक नोट 3KP 678509, 71 500 रूपये का एक नोट 2QS 836094, 72 500 रूपये का एक नोट 4EB 672128, 73 500 रूपये का एक नोट 2LM 323320, 74 500 रूपये का एक नोट 3CQ 182594, 75 500 रूपये का एक नोट 8TQ 946450, 76 500 रूपये का एक नोट 4QA 091279, 77 500 रूपये का एक नोट 1EA 748621, 78 500 रूपये का एक नोट 5CN 749785, 79 500 रूपये का एक नोट 9FK 427231, 80 500 रूपये का एक नोट 2NC 735803, 81 500 रूपये का एक नोट 5SF 557227, 82 500 रूपये का एक नोट 5PE 861911, 83 500 रूपये का एक नोट 5PK 062791, 84 500 रूपये का एक नोट 9SQ 554504, 85 500 रूपये का एक नोट 6ME 333549, 86 500 रूपये का एक नोट 6TG 978247, 87 500 रूपये का एक नोट 7AW 318132, 88 500 रूपये का एक नोट 1LR 191947, 89 500 रूपये का एक नोट 8BM 652461, 90 500 रूपये का एक नोट 2QP 003615, 91 500 रूपये का एक नोट 6AC 042258, 92 500 रूपये का एक नोट 7CR 667254, 93 500 रूपये का एक नोट 3NM 177329, 94 500 रूपये का एक नोट 2WS 563989, 95 500 रूपये का एक नोट 8GT 562821, 96 500 रूपये का एक नोट 0WU 259257, 97 500 रूपये का एक नोट 8NS 668899, 98 500 रूपये का एक नोट 5LM 697029, 99 500 रूपये का एक नोट 5LM697044, 100 500 रूपये का एक नोट 9KK 155659, 101 500 रूपये का एक नोट 9DE 359390, 102 500 रूपये का एक नोट 1BS 568403, 103 500 रूपये का एक नोट 0CQ 281071, 104 500 रूपये का एक नोट 4GM 405735, 105 500 रूपये का एक नोट 8AW 149197, 106 500 रूपये का एक नोट 7WU 414489, 107 500 रूपये का

एक नोट 0DT 825489, 108 500 रूपये का एक नोट 1MM 635293, 109 500 रूपये का एक नोट 5FH 687468, 110 500 रूपये का एक नोट 5AU 346221, 111 500 रूपये का एक नोट 6EM 832462, 112 500 रूपये का एक नोट 9NQ 846392, 113 500 रूपये का एक नोट 2BH 520868, 114 500 रूपये का एक नोट 7BC 360308, 115 500 रूपये का एक नोट 5CL 979025, 116 500 रूपये का एक नोट 2FT 956148, 117 500 रूपये का एक नोट 1BR 168187, 118 500 रूपये का एक नोट 0GM 570142, 119 500 रूपये का एक नोट 4VM 873385, 120 500 रूपये का एक नोट 7NG 263932, 121 500 रूपये का एक नोट 8QQ 269854, 122 500 रूपये का एक नोट 6PL 218210, 123 500 रूपये का एक नोट 5HV 255688, 124 500 रूपये का एक नोट 1FQ 746512, 125 500 रूपये का एक नोट 2QQ 861863, 126 500 रूपये का एक नोट 7MC 259568, 127 500 रूपये का एक नोट 3CG 848358, 128 500 रूपये का एक नोट 1HL 781539, 129 500 रूपये का एक नोट 2UU 101650, 130 500 रूपये का एक नोट 2UU 101651, 131 500 रूपये का एक नोट 1FW 396284, 132 500 रूपये का एक नोट 1FW 396283, 133 500 रूपये का एक नोट 9SN 354196, 134 500 रूपये का एक नोट 1KS 101433, 135 500 रूपये का एक नोट 2NG 629408, 136 500 रूपये का एक नोट 7UE 871092, 137 500 रूपये का एक नोट 3AG 643446, 138 500 रूपये का एक नोट 6HM 209007, 139 500 रूपये का एक नोट 0BS 198681, 140 500 रूपये का एक नोट 4MS 568242 उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं डमी नोट 6,30,000 रूपये को भी अलग से कपडे की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात आरोपी के पास रखी एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली एवं एक ऑफ वाईट कपडे की थैली जहां से रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुयी, इस हेतु उक्त सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली एवं ऑफ वाईट कपडे की थैली का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुयी को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त प्लास्टिक की थैली के धौवण के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी प्रकार श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में ऑफ वाईट कपडे की थैली जिसमें रिश्वत राशि की सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली बरामद हुयी उक्त ऑफ वाईट कपडे की थैली को उल्टा कर डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त कपडे की थैली के धौवण के घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गहरा गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क PT-1 व PT-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात प्लास्टिक की थेली को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी प्रकार ऑफ वाईट कपडे की थेली को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में अलग-अलग सिलचिट कर मार्क PT अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। चूंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में अपने दोनों हाथों में लेकर सीधे ही परिवादी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अन्य ऑफ व्हाईट रंग की कपडे की थैली में रखे जाने से सोफे के धोवण की आवश्यकता नहीं होने से सोफे का धोवण नहीं लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण सैनी से लिवायी गयी तो आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में एक सेमसंग गेलेक्सी ए 35 मोबाईल मिला। जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। इसके अलावा कोई वस्तु नहीं मिली ना ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 08.50 पी0एम0 पर परिवादी को उसकी निजी कार से एसीबी चौकी राजसमन्द के लिए रवाना करते हुए उसके पीछे-पीछे ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 मय आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक मय प्राईवेट वाहन के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन, जप्तशुदा समस्त मालखाना आर्टीकल्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूजे 1746 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी/प्राईवेट वाहनों से घटनास्थल से रवाना हो समय 09.10 पीएम पर एसीबी चौकी राजसमन्द पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ

करते हुए परिवादी श्री रमेश चन्द्र, आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 12.11.2025 को मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 14.11.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता/मोबाईल वार्ता/व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ताए (पांच वार्ताओं) की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 द्वारा मुर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी मीमो पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात दिनांक 15.11.2025 को रात्रि के समय 12.10 एएम पर आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के मोबाईल फोन सैमसंग गेलेक्सी कम्पनी को एक सफेद कपडे की थेली में सिलचिट किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसकी फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक का आवाज नमूना सैम्पल प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई जिसके प्रत्युतर में आरोपी द्वारा उक्त तहरीर पर अपनी हस्तलिपि में आवाज का नमूना देने से मना किया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के मूल मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) को जरिए अडेप्टर/कनेक्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव HIKVISION 32 GB (बरंग काला) में सेव/कॉपी किया जाकर उक्त रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों की तीन डब कॉपी तैयार की जाकर मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही का मूल मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) को जरिए अडेप्टर/कनेक्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यु कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 से निकलवाई जाकर हेश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) बरंग लाल/सफेद को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि0 द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव HIKVISION 32 GB (बरंग काला) में सेव/कॉपी किया जाकर तीन डब कॉपी तैयार की गई तथा मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- PD-1 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं का मूल मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) लगा हुआ हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यु कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड (HIKVISION 16 GB Micro SD HC V10 I) बरंग लाल/सफेद को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M-1 अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात फर्द नमूना सील पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के जब्तशुदा समस्त मालखाना आर्टिकल्स का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने तथा सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय 09.25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह व श्री लक्ष्मीनारायण, परिवादी श्री रमेश चन्द्र मय ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 मय सरकारी वाहन बालेरो मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब करने हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो किसान फार्म हाउस (धनजी का खेडा) पहुंच उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमेश चन्द्र की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी श्री रमेश चन्द्र को बाद फारिक आवश्यक हिदायत के रूखसत किया जाकर परिवादी श्री रमेश चन्द्र के किसान फार्म हाउस पर सुरक्षित अवस्था में रखी हुई आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक की मोटर साईकिल की चाबी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 को सुपुर्द कर आरोपी की मोटर साईकिल को एसीबी चौकी

राजसमन्द पर सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार के घटनास्थल (किसान फार्म हाउस, धनजी का खेडा) से रवाना हो समय 11.20 एएम पर एसीबी चौकी राजसमन्द पर उपस्थित आये तथा आरोपी की मोटर साईकिल को एसीबी चौकी राजसमन्द के अहाते में श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 से सुरक्षित रखवाई गई। इसके पश्चात आरोपी श्री कमलेश चन्द्र की मोटरसाईकिल एवं सरकारी दस्तावेजात रखे हुए काले रंग के बेग की उक्त कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के पुत्र श्री सोरभ वीरवाल को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लौटाई गई। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के समय 11.40 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यभान सिंह एवं श्री लक्ष्मीनारायण को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात आर0के0 हॉस्पीटल राजसमन्द से आरोपी का मेडिकल मुआयना करा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई तथा आरोपी का सेवाविवरण एवं परिवादी श्री रमेश चन्द्र की आराजीयात से सम्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक को मय जेसी रिमाण्ड मय केश डायरी के श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, भ्र0नि0अधिनियम न्यायालय राजसमन्द के समक्ष पेश कर श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह राजसमन्द में जमा करा रसीद प्राप्त की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत भाणा तहसील कुवारियां, जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी रमेश चन्द्र की ग्राम धनजी का खेडा में स्थित किसान फॉर्म हाउस की आराजीयात का मौके के हिसाब से की गई पैमाईश की कार्यवाही एवं आराजीयात का ऑन लाईन नक्शा शुद्धिकरण/दुरूस्तीकरण करवाने की एवज में दिनांक 09.11.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान रिश्वत राशि 1000000 रूपये की मांग कर रिश्वत राशि 700000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा मांग के अनुषरण में दिनांक 14.11.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र से रिश्वत राशि 700000 रूपये प्राप्त करना तथा मौके पर उक्त रिश्वत राशि थैली में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द्र से रिश्वत राशि 700000 रूपये ग्रहण करने के पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत आरोपी के दाहिने हाथ एवं बाये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना एवं सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली के धोवण का रंग गुलाबी एवं ऑफ व्हाईट रंग की कपड़े की थैली का रंग गहरा गुलाबी होना पाया जाने पर आरोपी श्री कमलेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारचन्द, उम्र 49 साल, जाति-खटीक, निवासी ब्रहम कुमारी आश्रम के पास गणेश नगर जावद काकरोली, पुलिस थाना काकरोली जिला राजसमन्द हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत भाणा तहसील कुवारियां जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द।............कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत सिंह चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कमलेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारचन्द, उम्र 49 साल, जाति-खटीक, निवासी ब्रहम कुमारी आश्रम के पास गणेश नगर जावद काकरोली, पुलिस थाना काकरोली जिला राजसमन्द हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत भाणा तहसील कुवारियां जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 343 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1716-19 दिनांक 18.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमंद 2- जिला कलेक्टर राजसमंद 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया): or

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): SONU SHEKHAWAT Rank (पद): निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1/2025

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh ...ore

Rank (पद): SP (Superintendant of ...)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Ma… (पहचान चिन्…)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress H… (पहना…)
8	9	10	11	12	1…

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place Of(का स्थान)					Othe… (अन्…)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	2…

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)